राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 29 / 2024

डॉ. राजेश मीना —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गंगापुरसिटी।
3. डॉ. जगराम मीना, चिकित्सा अधिकारी दन्त, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गुढाचन्द्रजी।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 08.01.2024
आदेश की दिनांक : 05.04.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता
निजी प्रत्यर्थी सं. 3 की ओर से : श्री विजय पाठक, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में चिकित्सा अधिकारी के पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कैमला में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 21.12.2023 (अनुलग्नक–2) द्वारा खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी गुढाचन्द्रजी का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया। उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 21.12.2023 (अनुलग्नक–3) को ही कार्यभार ग्रहण कर लिया एवं उक्त कार्यभार ग्रहण की सूचना पत्र दिनांक 21.12.2023 (अनुलग्नक–4) द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी गंगापुरसिटी को भिजवायी गयी। अपीलार्थी को उक्त पद पर कार्य करते हुए 15 दिवस का समय ही व्यतीत हुआ था कि बिना किसी उचित कारण के अपीलार्थी को आदेश दिनांक 21.12.2023 द्वारा अतिरिक्त चार्ज दिया गया था जिसे प्रत्यर्थी विभाग के चुनौती आदेश दिनांक 06.01.2024 द्वारा प्रत्याहरित कर लिया गया (अनुलग्नक–1)। विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि यदि किसी आदेश की पालना में कोई कर्मचारी कार्यग्रहण कर लेता है तो उसके आदेश को प्रत्याहरित नहीं किया जा सकता। यदि आवश्यक हो तो नए सिरे से विधि अनुसार आदेश जारी किया जा सकता है। वर्तमान प्रकरण में केवल मात्र प्रत्यर्थी संख्या–3 डॉ. जगराम मीना को अनुचित लाभ देने के लिए अपीलार्थी का पूर्व आदेश दिनांक 21.12.2023 को चुनौती आदेश दिनांक

06.01.2024 द्वारा प्रत्याहरित किया गया है, जो अनुचित व अवैध है। अपीलार्थी चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत है जो कि खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पर पद लगाया जाने के पूर्णरूप से योग्य है जबकि निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 डॉ. जगराम मीना दंत चिकित्सा अधिकारी है जो कि प्रशासनिक पद पर नहीं लगाया जा सकता है (अनुलग्नक–5)।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 06.01.2024 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या–3 के सम्बन्ध में अपास्त किया जावे।

निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 के विद्वान् अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कैमला में चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत है और आदेश दिनांक 21.12.2023 द्वारा उसे ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गुढ़ाचंद्रजी के प्रशासनिक पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। कैमला और गुढ़ाचंद्रजी के बीच की दूरी करीब 40 किलोमीटर है। यदि किसी व्यक्ति को किसी अन्य पद का प्रभार दिया जाता है और दो स्थानों के बीच की दूरी 8 किमी से अधिक है, तो उन्हें टीए और डीए भत्ता दिया जाएगा। इस दृष्टि से अपीलार्थी को दूर स्थान पर अतिरिक्त प्रभार देने से वित्तीय राजकोष को हानि होगी। आदेश दिनांक 21.12.2023 विधायक, टोडाभीम की सिफारिशों के आधार पर पारित किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा सत्यनारायण बनाम राज्य में पारित निर्णय (WLR 1992 (s) Raj 317) एवं गिरिराज शर्मा बनाम राज्य में पारित निर्णय WLR Raj (UC) 2002 Page 721 में राजनैतिक आधार पर किए गए स्थानान्तरणों को अपास्त किया गया है। निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 ने अपनी परिवेदना उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई, तो उन्होंने आदेश दिनांक 06.01.2024 जारी कर आदेश दिनांक 21.12.2023 को वापस ले लिया, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ब्लॉक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। आलौच्य आदेश स्थानान्तरण आदेश नहीं है। सीएचसी कैमला में दो चिकित्सक कार्यरत है। अपीलार्थी को बीसीएमओ का अतिरिक्त कार्यभार देने से वह सीएचसी कैमला में उचित रूप से ड्यूटी नहीं कर सकेगा। निजी प्रत्यर्थी गुढाचन्द्रजी में ही कनिष्ठ विशेषज्ञ (दंत) के पद पर पदस्थापित है। गुढाचन्द्रजी में 6 चिकित्सक पदस्थापित है। इस कारण बीसीएमओ का अतिरिक्त कार्यभार निजी प्रत्यर्थी आसानी से संभाल सकता है एवं राजकोष पर कोई भार नहीं पड़ेगा। अपीलार्थी चिकित्सा अधिकारी है और निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 कनिष्ठ विशेषज्ञ है। निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 अपीलार्थी से वरिष्ठ होने के कारण उन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया जाना उचित है। दौसा में पीएमओ का कार्यभार एमओ (दन्त) को दिया गया, जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने उचित माना है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गंगापुरसिटी के कार्यालय आदेश दिनांक 21.12.2023 द्वारा अपीलार्थी को खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी गुडाचन्द्रजी का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया तत्पश्चात् निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के निर्देश पर आदेश दिनांक 21.12.2023 को प्रत्याहरित करते हुये आदेश दिनांक 06.01 2024 जारी किया गया। नियोक्ता का अधिकार है कि वह अपने कार्मिक की सेवायें कब और किस प्रकार से ले। आदेश दिनांक 06.01.2024 जनहित की आवश्यकता एवं उच्चाधिकारियों के निर्देश पर प्रत्याहरित किया गया है तथा किसी भी अधिकारी को अनुचित लाभ प्रदान करने की मंशा से आदेश का प्रत्याहरण नहीं किया गया। कार्यालय आदेश दिनांक 06.01.2024 सक्षम स्तर के निर्देश पर उचित रूप से जारी किया गया है जिसमें किसी प्रकार की अवैधानिकता नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में आलौच्य आदेश दिनांक 06.01.2024 (अनुलग्नक–1), जिसके द्वारा अपीलार्थी को खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी गुढाचन्द्रजी, जिला गंगापुरसिटी का अतिरिक्त कार्यभार देने के आदेश को प्रत्याहरित किया है, को चुनौती दी गई है। उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 21.12.2023 (अनुलग्नक–2) द्वारा खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी गुढाचंद्रजी का अतिरिक्त कार्यभार निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 के स्थान पर दिया गया है, जिसको आलौच्य आदेश द्वारा प्रत्याहरित किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी द्वारा आदेश दिनांक 21.12.2023 की पालना में उसी दिनांक 21.12.2023 को ही कार्यभार ग्रहण कर लिया था और उसकी सूचना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी गंगापुरसिटी को भिजवाई जा चुकी है। अपीलार्थी का मुख्य कथन यह है कि निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 जगराम मीना चिकित्सा अधिकारी (दन्त) है, जिन्हें खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियमानुसार नहीं लगाया जा सकता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 03.01.2012 अनुसार चिकित्सा अधिकारी (दन्त) की पदोन्नति वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (दन्त) के पद पर होती है। साथ ही चिकित्सा अधिकारी (दन्त) की पदोन्नति कनिष्ठ विशेषज्ञ के पद पर होती है। परन्तु ऐसाा कोई नियम/आदेश प्रस्तुत नहीं किया जो कनिष्ठ विशेषज्ञ (दन्त) को बीसीएमओ के प्रशासनिक पद का कार्यभार देने से रोकता हो या निषेध करता हो। आदेश दिनांक 21.12.2023 राजनैतिक आधार पर जारी होना पाया जाता है। अपीलार्थी कैमला में पदस्थापित है, जो खण्ड मुख्यालय से अन्यत्र है, जबकि निजी प्रत्यर्थी खण्ड मुख्यालय गुढाचंद्रजी में पदस्थापित है। अतः दोनों कार्यभार ज्यादा बेहतर तरीके से निष्पादित कर

सकता है। निजी प्रत्यर्थी गुढाचंद्रजी में कनिष्ठ विशेषज्ञ दन्त के पद पर कार्यरत है और कनिष्ठ विशेषज्ञ (दंत) को खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी का अतिरिक्त पदभार दिया जाने पर रोक या निषेध का कोई नियम आदेश पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं हुआ है इससे जाहिर है कि इस संबंध में नियमों में कोई रोक नहीं है। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से स्पष्ट किया कि आलौच्य आदेश दिनांक 06.01.2024 प्रशासनिक आवश्यकता और जनहित को देखते हुए जारी किया गया है, जिसमें कोई दुर्भावना निहित नहीं है। अपीलार्थी को खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी गुढाचंद्रजी का अतिरिक्त चार्ज दिया गया था, जिसे आवश्यक प्रशासनिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत निरस्त किया गया है। इस प्रकरण में अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 08.01.2024 द्वारा पारित अंतरिम स्थगन आदेश के विरूद्ध निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिकाकर्ता द्वारा यह निवेदन किया कि याची ने अधिकरण के समक्ष स्टे वेकेशन का प्रार्थना पत्र दायर किया जा चुका है। अस आधार पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित किया कि अधिकरण द्वारा याची द्वारा दायर आवेदन का शीघ्रता से निस्तारण किया जावे और इस आधार पर रिट याचिका को निस्तारित किया गया।

पत्रावली से उपलब्ध दस्तावेज से स्पष्ट है कि खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी का पद प्रशासनिक पद है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. स्पेशल अपील संख्या 504/2021 डॉ0 छोटेलाल मीना बनाम राज्य में पारित निर्णय दिनांक 26.05.2021 में यह माना है कि वरिष्ठ विशेषज्ञ दन्त को विभागीय पत्र दिनांक 28.10.2015 के अनुसार पीएमओ लगाया जा सकता है। उक्त निर्णय में चिकित्सा विभाग का पत्र दिनांक 28.10.2015 उद्धत है, जिसके अनुसार खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद हेतु छः वर्ष का सेवा अनुभव आवश्यक है और अपील में अपीलार्थी द्वारा निजी प्रत्यर्थी के अनुभव के संबंध में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। निजी प्रत्यर्थी कनिष्ठ विशेषज्ञ दंत है जिस पर पदोन्नति हेतु कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 03.01.2012 के अनुसार न्यूनतम 6 वर्ष का सेवा अनुभव आवश्यक है। जबकि अपीलार्थी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उसके द्वारा कितने वर्ष का अनुभव धारित है। अपीलार्थी चिकित्सा अधिकारी पद पर कार्यरत है। उक्त तथ्यों एवं विधिक स्थिति में हम आलौच्य आदेश में कोई नियम विरूद्धता अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं पाते है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाकर अधिकरण द्वारा जारी अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 08.01.2024 को समाप्त (Vacate) किया जाता है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)